न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 29 / 2023

1 कानाराम पुत्र जीवन जाति जाट निवासी ग्राम महला की ढाणी तन टीटनवाड़ तहसील गुढ़ा गौड़जी जिला झुन्झुनूं।

अपीलांट्स

बनाम

1 ख्यालीराम पुत्र बीरबल
2 शिशराम पुत्र बीरबल
3 सरला देवी स्त्री बीरबल (नाम हजफ)
4 चुकी देवी पुत्री शिवपाल
5 भागोती देवी पुत्री शिवपाल
6 मन्जू देवी पुत्री शिवपाल
7 बिमला देवी पुत्री शिवपाल जाति समस्त जाट निवासी नीम की ढाणी तन बामलास तहसील गुढ़ा गौड़जी जिला झुन्झुनूं।
8 तहसीलदार तहसील गुढ़ा गौड़जी जिला झुन्झुनूं।

रेस्पोडेन्टस

अपील अ. धारा 223 राज. काश्तकारी अधि. 1955
अपील खिलाफ निर्णय दिनांक 09.05.2022 बअदालत
उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं मुकदमा
उनवानी कानाराम बनाम ख्यालीराम वगै. मु.नं. 25 / 2022
प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थिति :

1. श्री राजेश पुनियां, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री रोहिताश कुल्हरि, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

—निर्णय—

दिनांकः— 17/11/25

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी द्वारा मुकदमा नम्बर 25/2022 में पारित निर्णय दिनांक 09.05.2022 के विरूद्ध प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि जीमल हाल खसरा नम्बर 1022 रकबा 0.55 है., खसरा नम्बर 1946/1117 रकबा 0.7863 है., खसरा नम्बर 1670/683 रकबा 0.01 है., खसरा नम्बर 678 रकबा 0.04 है., खसरा नम्बर 696 रकबा 0.05 है., खसरा नम्बर 697 रकबा 0.01 है., खसरा नम्बर 698 रकबा 0.04 है. सरहद राजस्व ग्राम टीटनवाड़ तहत तहसील गुढ़ागौड़जी जिला झुन्झुनूं में स्थित है। अपीलान्ट ने उक्त जमीन के बाबत विचारण न्यायालय के समक्ष दावा बाबत घोषणा, विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया जिस वाद पत्र के साथ अपीलान्ट ने उक्त उनवानी प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश किया। विचारण न्यायालय ने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में दिनांक 01.02.2022 को अपीलान्ट का प्रथम दृष्टया मामला मानकर अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश पारित किया तथा विचारण न्यायालय ने बाद में दिनांक 09.05.2022 को विचाराधीन निर्णय पारित कर अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि अपीलान्ट ने विचारण न्यायालय के समक्ष वाद पत्र व प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया कि ग्राम टीटनवाड़ में जमीन खसरा नम्बर 1022 व खसरा नम्बर 1946/1117, खसरा नम्बर 1670/683 व खसरा नम्बर 678, खसरा नम्बर 696 व खसरा नम्बर 697 व खसरा नम्बर 698 कुल रकबा 0.9363 है. जमीन स्थित है तथा ग्राम नीम की ढाणी पटवार हल्का बामलास में जमीन खसरा नम्बर 01 रकबा 3.57 है. जमीन स्थित है। ग्राम टीटनवाड़ की जमीन का खातेदार अपीलान्ट का पिता जमीन था। जीवन के देहान्त होने के बाद उक्त भूमि वादी व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के पिता व रेस्पोडेन्ट नम्बर 3 के पति व रेस्पोडेन्ट नम्बर 4 से 7 के पिता को उक्त जमीन उत्तराधिकार में प्राप्त हुई। उक्त जमीन का आपस में मौखिक बंटवारा अपीलानट व शिवपाल एवं बीरबल

अनिल कुमार II RAS
भू.प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

ने सन 1971 में कर लिया तब ग्राम टीटनवाड़ की जमीन बटवारा में अपीलान्ट कानाराम के हिस्सा में आई तथा ग्राम नीम की ढाणी की जमीन बंटवारा में शिवपाल व बीरबल के हिस्सा में आई तथा सन 1971 से उपरोक्त अनुसार ही जमीनों पर काबिज काश्त है तथा उपरोक्त अनुसार की जमीनों में सुधार किया है लेकिन ग्रामीण परिवेश के व्यक्ति होने के कारण उक्त जमीनों का राजस्व रिकार्ड उपरोक्त अनुसार दुरूस्त नहीं करवा सके। विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय पारित करने में आदेश 39 नियम 1 व 2 जा.दी. के आदेशात्मक प्रावधानों की पालना नहीं की। कानून से धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रकरण मेंज ब अंतिम निर्णय पारित किया जाता है तो प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन, एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दुओं पर तर्क एवं निष्कर्ष सहित विस्तृत विवेचना कर अंतिम निर्णय पारित करना चाहिये। इस कारण विचाराधीन निर्णय खारिज होने योग्य है। विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय पारित कर अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज करने का कोई कानूनी आधार दर्ज नहीं किया। विचारण न्यायालय में अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज करने का आधार यह लिया है कि प्रार्थी व अप्रार्थीगण अविभाजित जमीन के सहखातेदार है। रिकार्डेड खातेदार काश्तकार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता। अपीलान्ट कानाराम ने अपने वाद पत्र में लिखा है कि आपसी बंटवारा में ग्राम टीटनवाड़ की जमीन अपीलान्ट कानाराम के हिस्से में आई है तथा ग्राम नीम की ढाणी पटवार हल्का बामलास में स्थित जमीन प्रतिवादी नम्बर 1 से 7 के हिस्से में आई है। कानून से यहां एक सहखातेदार अपने हिस्से की जमीन के बाबत दुसरे के हक अधिकारों को चेलेन्ज करता है वहां रिकार्डेड खातेदार के विरूद्ध एवं सहखातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जा सकती है। इस प्रकार विचारण न्यायालय का उपरोक्त आधार कोई कानूनी आधार नहीं है। जानकारी से अंदर मियाद अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है। अपील स्वीकार की जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आरआरटी 2013(1) पेज 684, आरआरटी 2018–2019 सप्ली. पेज 618, आरबीजे 2020 पेज 82 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये।

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि जमीन हाल खसरा नम्बर 1022 रकबा 0.55 है., खसरा नम्बर 1946/1117 रकबा 0.7863 है. , खसरा नम्बर 1670/683 रकबा 0.01 है., खसरा नम्बर 678 रकबा 0.04 है., खसरा नम्बर 696 रक़बा 0.05 है., खसरा नम्बर 697 रकबा 0.01 है., खसरा नम्बर 698 रकबा 0.04 है. सरहद राजस्व ग्राम टीटनवाड़ तहत तहसील गुढ़ागौड़जी जिला झुन्झुनूं में स्थित है। अपीलान्ट ने उक्त जमीन के बाबत विचारण न्यायालय के समक्ष दावा बाबत घोषणा, विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया जिस वाद पत्र के साथ अपीलान्ट ने उक्त उनवानी प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश किया। विचारण न्यायालय ने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में दिनांक 01.02.2022 को अपीलान्ट का प्रथम दृष्टया मामला मानकर अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश पारित किया तथा विचारण न्यायालय ने बाद में दिनांक 09.05.2022 को विचाराधीन निर्णय पारित कर अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को खारिज कर दिया। विवादित भूमि उभयपक्ष की सहखातेदारी में दर्ज है। प्रार्थी अपीलान्ट द्वारा सहखातेदारी की भूमि में विशेष भू–भाग पर काबिज होने का कथन कर ताफैसला वाद अस्थाई निषेधाज्ञा चाही गई थी। विचारण न्यायालय द्वारा विधि अनुसार एक सहकाश्तकार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर सहकाश्तकार को उसके हिस्से के उपयोग उपभोग से वंचित करना विधि सम्मत नहीं मानकर विचाराधीन निर्णय से प्रार्थी अपीलान्ट का आवेदन खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। विचारण न्यायालय में आवेदन धारा 212 प्रार्थी अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत किया गया था। विचारण न्यायालय में प्रार्थी अपीलांट की जरिये वकील उपस्थिति रही है। इसके उपरांत भी विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय दिनांक 09. 05.2022 के विरूद्ध 9 माह के असाधारण विलम्ब से दिनांक 07.02.2023 को अपील प्रस्तुत की गई है। विलम्ब का दिन प्रतिदिन का संतोषप्रद कारण अंकित नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट धारा 5 का

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अपील मियाद एवं गुणावगुण दोनों पर खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि जमीन हाल खसरा नम्बर 1022 रकबा 0.55 है., खसरा नम्बर 1946/1117 रकबा 0.7863 है., खसरा नम्बर 1670/683 रकबा 0.01 है., खसरा नम्बर 678 रकबा 0.04 है., खसरा नम्बर 696 रकबा 0.05 है., खसरा नम्बर 697 रकबा 0.01 है., खसरा नम्बर 698 रकबा 0.04 है. सरहद राजस्व ग्राम टीटनवाड़ तहत तहसील गुढ़ागौड़जी जिला झुन्झुनूं में स्थित है। अपीलान्ट ने उक्त जमीन के बाबत विचारण न्यायालय के समक्ष दावा बाबत घोषणा, विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया जिस वाद पत्र के साथ अपीलान्ट ने उक्त उनवानी प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश किया। विचारण न्यायालय ने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में दिनांक 01.02.2022 को अपीलान्ट का प्रथम दृष्टया मामला मानकर अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश पारित किया तथा विचारण न्यायालय ने बाद में दिनांक 09.05.2022 को विचाराधीन निर्णय पारित कर अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को खारिज कर दिया।

विचारण न्यायालय में प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार विवादित भूमि उभयपक्ष की सहखातेदारी में दर्ज है। प्रार्थी अपीलान्ट द्वारा सहखातेदारी की भूमि में विशेष भू–भाग पर काबिज होने का कथन कर ताफैसला वाद अस्थाई निषेधाज्ञा चाही गई थी। विचारण न्यायालय द्वारा विधि अनुसार एक सहकाश्तकार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर सहकाश्तकार को उसके हिस्से के उपयोग उपभोग से वंचित करना विधि सम्मत नहीं मानकर विचाराधीन निर्णय से प्रार्थी अपीलान्ट का आवेदन खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है।

विचारण न्यायालय में आवेदन धारा 212 प्रार्थी अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत किया गया था। विचारण न्यायालय में प्रार्थी अपीलांट की जरिये वकील उपस्थिति रही है। इसके उपरांत भी विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय दिनांक 09.05.2022 के विरूद्ध 9 माह के असाधारण

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (क्षेत्र्य झुन्झुनूं)

विलम्ब से दिनांक 07.02.2023 को अपील प्रस्तुत की गई है। विलम्ब का दिन प्रतिदिन का संतोषप्रद कारण अंकित नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट धारा 5 का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट मियाद एवं गुणावगुण दोनों पर खारिज कीं जाती है।

निर्णय आज दिनांक 17/11/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अनिल कुमार II)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर